ग्राम पंचायत टब्बा, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत टब्बा, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत टब्बा में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती सुदेश कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2023

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जितेन्द्र कुमार	01.04.2022 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत टब्बा, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.23 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	4 (घ)	रोकड़ बही व बैंक खातों में भारी अन्तर	7.51

2)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	50.45
3)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	3.02
4)	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.11
5)	8.1	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय करना	8.90
6)	8.2	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.06
7)	8.3	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय	1.90
8)	8.4	सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	0.71
9)	9.1	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से अधिक / अनियमित व्यय करना	0.09

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनिर्णीत / निर्णीत	विवरण
1.	पैरा-3	निर्णीत।	(अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- की वसूली AU SMALL FINANCE BANK के बैंक ड्राफ्ट संख्या 174765102 दिनांक 24.02.2023 द्वारा कर ली गई है)
2.	पैरा-4 (क, ख व ग)	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 (क, ख, ग ~~व घ~~) में पुनः प्रारूपित
3.	पैरा-4 (घ)	अनिर्णीत।	
4.	पैरा-5	अनिर्णीत।	
5.	पैरा-6.1	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पुनः प्रारूपित
6.	पैरा- 6.2	अनिर्णीत।	
7.	पैरा-6.3	अनिर्णीत।	
8.	पैरा-7.1	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के

			पैरा संख्या 7.1 (क) में पुन: प्रारूपित
9.	पैरा-7.2	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7.2 में पुन: प्रारूपित
10.	पैरा-8.1	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-8.2	अनिर्णीत।	
12.	पैरा-9.1	अनिर्णीत।	
13.	पैरा-9.2	निर्णीत।	सिलाई अध्यापिका को अधिक भुगतान किए गए ₹1813/- की वसूली कर ली गई है जिसके इन्द्राज व जमा बारे पुष्टि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 99 दिनांक 16.02.2023 पर कर ली गई है।
14.	पैरा-9.3	निर्णीत।	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई ₹250/- की वसूली कर ली गई है जिसके इन्द्राज व जमा बारे पुष्टि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 99 दिनांक 16.02.2023 पर कर ली गई है।
15.	पैरा-10.1	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुन: प्रारूपित
16.	पैरा-10.2	निर्णीत।	वांछित अभिलेख का रख-रखाव ग्राम पंचायत द्वारा कर लिया गया है।
17.	पैरा-10.3	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुन: प्रारूपित
18.	पैरा-10.4	अनिर्णीत।	
19.	पैरा-10.5	अनिर्णीत।	
20.	पैरा-10.6	अनिर्णीत।	
21.	पैरा-11	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत टब्बा, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20.09.2023 से 21.09.2023 व 01.12.2023 से 02.12.2023 तक तथा श्री अश्वनी कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 01.12.2023 से 02.12.2023 तक ग्राम पंचायत टब्बा के कार्यालय में

किया गया | आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	12/2022

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। "

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत टब्बा, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 312/2023 दिनांक 02/12/2023 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत टब्बा द्वारा AU SMALL FINANCE BANK के बैंक ड्राफ्ट संख्या 000558 दिनांक 04/12/2023 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत टब्बा द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 287/2023 दिनांक 21.09.2023 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/23 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्र परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पांच रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही), 14वां वित्तायोग, 15वां वित्तायोग (Online), स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) व मनरेगा का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹) (3+4)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹) (5-6)
1	2022-23	5790504.07	8097934	13888438.07	8843670	5044768.07

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत टब्बा के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.23 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹751074/-** था :-

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	5044768.07
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	5795713.98
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	128.09
4)	**योग (2+3)**	5795842.07
5)	**अन्तर (4-1)**	**751074.00**

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Una	20013012571	1069258.38
2	AU Small Finance Una	2181238737250786	562922.60
3	AU Small Finance Una 14th FC	2181238735817387	0.00
4	Axis Bank Una	920010053994224	4163533.00

5		**योग**	**5795713.98**
6	**हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत)**		128.09
		योग (1+2)	**5795842.07**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका । अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(घ) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण ₹7.51 लाख का भारी अन्तर:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को मद स्वः स्त्रोत व अनुदान की समेकित रोकड़ बही एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹751074/-** का भारी अन्तर पाया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 290/2023 दिनांक 21/09/2023 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 69 दिनांक 02/12/2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त अन्तर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से जाँच पड़ताल करने के उपरान्त आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | नियमानुसार रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करने के कारण उक्त भारी अन्तर पाये जाने से किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की प्रबल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र-अति-शीघ्र करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए।

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 287/2023 दिनांक 21.09.2023 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 67 दिनांक 02/12/2023 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/23 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹50.45 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 287/2023 दिनांक 21.09.2023 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹**5044768.07/- की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान

मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 287/2023 दिनांक 21.09.2023 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 67 दिनांक 02/12/2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 287/2023 दिनांक 21.09.2023 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 67 दिनांक 02/12/2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹3.02 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित है | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 287/2023 दिनांक 21.09.2023 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 67 दिनांक 02/12/2023 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹301562/- **(परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	237962	63600	301562	00	301562

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 मोबाइल टावर शुल्क ₹0.30 लाख की वसूली न करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 287/2023 दिनांक 21.09.2023 के प्रत्युत्तर में यथा (**परिशिष्ट - ग)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 को **निम्न विवरणानुसार** मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क ₹**30000/-** वसूली हेतु शेष थी जिसे सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)-96 दिनांक 21/06/2017 व Right of way policy – 2021 से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या: DIT-FOS(23)/1/2017-I.T. Section –GOHP, दिनांक 09.02.2021 के अनुसार वसूल किया जाना अपेक्षित है । अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वसूली हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी | अत: मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	दिनांक 31.03.23 तक वसूली योग्य राशि (₹)
1)	Airtel 1	10000
2)	BSNL 1	10000
3)	IDEA 1	10000
	कुल योग	**30000**

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.11 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति विवाह तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना अपेक्षित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है । लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹11400/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	नाम	दिनांक	रसीद संख्या	राशि (₹)
1	रिशव कुमार	13/05/2022	121611	400
2	जसविंदर कुमार	24/06/2022	121612	400
3	जगमोहन	24/06/2022	121613	200
4	गुरबीर सिंह	07-06-2022	121621	400
5	सोरव राणा	07-06-2022	121622	400
6	दलविंदर सिंह	07-06-2022	121623	400
7	अजय कुमर	07-06-2022	121624	400

8	साहिल	25/07/2022	121628	200
9	गुरचरण सिंह	23/07/2022	121629	200
10	विवेक गर्ग	23/07/2022	121630	200
11	सोरव राणा	02/092022	121634	200
12	सागर राणा	02/092022	121635	200
13	लखन सिंह	09-02-2022	121636	200
14	रजत कुमार	09-02-2022	121637	400
15	साहिल	09-02-2022	121638	200
16	रोहन	09-02-2022	121639	400
17	लखविंदर कुमार	14/10/2022	121666	400
18	अंकित शर्मा	17/10/2022	121645	200
19	चेतन शर्मा	17/10/222	121646	200
20	नितिन परभाकर	15/12/2022	121658	200
21	इन्दर जीत	15/12/2022	121659	200
22	प्रतीक शर्मा	19/12/2022	121660	200
23	अमनदीप	19/12/2022	121661	200
24	अनुराग राणा	26/12/2022	121665	200
25	अनिरुध शर्मा	26/12/2022	121666	200
26	नवनीत	01-02-2022	121668	200
27	अबिनंदन	01-05-2023	121669	200
28	दीपक कुमार	13/01/2022	121670	200
29	हिमांशी पाठक	19/01/2022	121671	200

30	निखाल	15/02/2023	121672	400
31	संजीव कुमार	15/02/2023	121673	200
32	सोरव	15/02/2023	121674	200
33	ईशान शर्मा	1502/2023	121675	200
34	दस राम	15/02/2023	121676	400
35	विवेक ठाकुर	15/02/2023	121677	200
36	निशांत	16/02/2023	121678	400
37	सचिन राणा	14/03/2023	121679	400
38	वरिंदर रायजादा	14/03/2023	121680	400
39	प्रिंस शर्मा	14/03/2023	121681	200
40	हेमंत	14/03/2023	121682	200
41	परविंदर कुमार	14/03/2023	121687	400
42	तारक ठाकुर	14/03/2023	121689	200
			कुल योग	**11400/-**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 305/2023 दिनांक 01.12.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 70 दिनांक 02/12/2023 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 ₹8.90 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा

निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **₹890040/-** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 306/2023 दिनांक 01.12.2023 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 71 दिनांक 02/12/2023 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	वाउचर संख्या	माह	विवरण	राशि(18% GST सहित)
1	Planning	152	Dec-22	3000 टाईल @ 15.222/- प्रति टाईल	45666
2	Planning	152/1	Dec-22	3224 टाईल @ 15.222/- प्रति टाईल	49076
3	Planning	153	Dec-22	15850 टाईल @ 17.936/- प्रति टाईल	284286
4	Planning	155	Dec-22	8350 टाईल @ 17.936/- प्रति टाईल	149766
5	Planning	156	Dec-22	8350 टाईल @ 17.936/- प्रति टाईल	149766

6	Planning	158	Dec-22	5850 टाईल @ 17.936/- प्रति टाईल	104926
7	15th FC	73	Dec-22	7000 टाईल @ 15.222/- प्रति टाईल	106554
				कुल योग	**890040/-**

8.2 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.06 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 12/2022 व कुछ अन्य माह में प्रयोग की गई निर्माण सामग्री के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **सलंग्र परिशिष्ट "घ" अनुसार** ₹5519.26 का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 307/2023 दिनांक 01/12/2023 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 72 दिनांक 02/12/2023 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अत: ₹5519.26 के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

8.3 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.90 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत **निम्न विवरणानुसार** पंचायत द्वारा **₹189945/-** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: ग्राम पंचायत द्वारा किया गया उक्त भुगतान पूर्ण रूपेण अनियमित है | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 309/2023 दिनांक 01/12/2023 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 74 दिनांक 02/12/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे विकास खण्ड ऊना के उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	माह	फर्म का नाम व पता	बिल संख्या व दिनांक	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)	शून्य	12/2022	M/S J.K ENTERPRISES RAKKAR COLONY, JALGRAN TABBA	065 18.10.2022	सेनेटरी का सामान	11460
2	स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)	शून्य	12/2022	M/S J.K ENTERPRISES RAKKAR COLONY, JALGRAN TABBA	066 18.10.2022	सेनेटरी का सामान	4775
3	स्वच्छ भारत	शून्य	12/2022	SACHIN STEEL SALES	387 10.10.2022	स्टील	24000

	मिशन (PFMS)			VPO BEHDALA TEHSIL & DISTT. UNA			
4	स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)	शून्य	12/2022	SACHIN STEEL SALES VPO BEHDALA TEHSIL & DISTT. UNA	388 10.10.2022	स्टील	25100
5	स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)	शून्य	12/2022	M/S J.K ENTERPRISES RAKKAR COLONY, JALGRAN TABBA	071 19.10.2022	सेनेटरी का सामान	26310
6	स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)	शून्य	12/2022	R&R BUILDERS (SIYARAM TILES AND GRANITO, TABBA	1219 15.10.2022	WALL TILES, TERACOT A ETC.	24282
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	151	12/2022	M/S HIMCO STEEL INDIA RAKKAR COLONY, UNA	40 10.08.2022	STEEL GATE	9982
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	166	12/2022	M/S J.K. ENTERPRISES RAKKAR COLONY, UNA	063 शून्य	सेनेटरी का सामान	7264
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	168	12/2022	R&R BUILDERS (SIYARAM	1197 05.10.2022	WALL TILES	21608

				TILES AND GRANITO, TABBA			
10	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	169	12/2022	M/S SHARMA TRADERS VPO BARNOH	708 शून्य	STEEL	35164
						योग	**189945**

8.4 ₹0.71 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/23 के चयनित माह 12/2022 में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत **निम्न विवरणानुसार ₹71417/-** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था :-

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**वाउचर संख्या व माह**	**बिल संख्या व माह**	**फर्म का नाम एवं पता**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि (₹)**
1	स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)	शून्य 12/2022	065 18.10.2022	M/S J.K ENTERPRISES RAKKAR COLONY, JALGRAN TABBA	सेनेटरी का सामान	11460
2	स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)	शून्य 12/2022	066 18.10.2022	M/S J.K ENTERPRISES RAKKAR COLONY, JALGRAN TABBA	सेनेटरी का सामान	4775
3	स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)	शून्य 12/2022	071 19.10.2022	M/S J.K ENTERPRISES RAKKAR COLONY, JALGRAN TABBA	सेनेटरी का सामान	26310
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	166 12/2022	063 शून्य	M/S J.K. ENTERPRISES RAKKAR COLONY, UNA	सेनेटरी का सामान	7264

5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	168 12/2022	168 05.10.2022	R&R BUILDERS (SIYARAM TILES AND GRANITO, TABBA	WALL TILES	21608
					योग	**71417**

उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 310/2023 दिनांक 01/12/2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टब्बा के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 75 दिनांक 02/12/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में करके अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

9.1 स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से ₹0.09 लाख का अधिक / अनियमित व्यय करना:-

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/23 के चयनित मास 12/2022 में व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रास्तों के निर्माण कार्यों हेतू प्रयोग की गई निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु व्यय निविदायें आमंत्रित करके किया गया था, जिसमें फर्म शिवा इंडस्ट्रीज जलग्रां टब्बा से 80MM पेवर / ब्लॉक्स हेतु ₹17.70 प्रति पेवर (जी.एस.टी. सहित) की दर से न्यूनतम दर की निविदा प्राप्त हुई थी। अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त फर्म को ₹17.70 प्रति पेवर की बजाए ₹17.936 प्रति पेवर की दर से अर्थात् ₹0.236 प्रति पेवर की दर से **निम्न विवरणानुसार ₹9064/-** का अधिक भुगतान किया गया | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 311/2023 दिनांक 02.12.2023 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 76 दिनांक 02/12/23 द्वारा सूचित किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि ₹9064/- की वसूली सम्बन्धित से कर ली गई है | वसूली के इन्द्राज व जमा बारे पुष्टि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 123 दिनांक 04.12.2023 को कर ली गई है |

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	माह	मात्रा	भुगतान योग्य दर (₹) प्रति पेवर	भुगतान की गई दर (₹)	अन्तर	अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
1	153	12/2022	15850	17.70	17.936	0.236	3741
2	155	12/2022	8350	17.70	17.936	0.236	1971
3	156	12/2022	8350	17.70	17.936	0.236	1971
4	158	12/2022	5850	17.70	17.936	0.236	1381
						योग	**9064**

9.2 माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 12/2022 में स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) शीर्ष से **निम्न विवरणानुसार** कार्य हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत भुगतान किया गया था :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम
1	स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)	C/O DRAINAGE SYSTEM PANCHWATI COLONY DR. SUMIT DUBEY TO MAIN KHAD

उपरोक्त उल्लेखित कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षण अधियाचना संख्या 308/2023 दिनांक 01/12/2023 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 73 दिनांक 02/12/2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी | नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर

आपत्तिजनक है । परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जाँच नहीं हो सकी | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 288/2023 दिनांक 21.09.2023 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था । प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 68 दिनांक 02/12/2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है । यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राक्कलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	8	34
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) (ए व बी)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 287/2023 दिनांक 21.09.2023 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 67 दिनांक 02/12/2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/23 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म,

कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:**- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

13 **निष्कर्ष:**- लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

06 JAN 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
का०/प्रति हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
234-238 शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(5)83/2023–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय लोक लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि०प्र०।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि०प्र०)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत टब्बा, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

06 JAN 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
का०/प्रति हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

पैरा संख्या '5 क' में सन्दर्भित परिशिष्ट 'क'

ग्राम पंचायत टब्बा, विकास खण्ड व जिला ऊना हि.प्र.

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	5790504.07	8097934	13888438.07	8843670	5044768.07

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Tabba
Dev.Block Una, Distt.Una (H.P.)

स्वयं स्त्रोत एवं अनुदान (समेकित) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2084619.07	3590318	5674937.07	4793702	881235.07

14वां वित्तायोग की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	443773	5569	449342	449342	0

15वां वित्तायोग (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	3262112	2835007	6097119	1933586	4163533

मनरेगा की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	0	910608	910608	910608	0

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	0	756432	756432	756432	0

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Tabba
Dev.Block Una, Distt.Una (H.P.)

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4 का अंतशेष	5044768.07
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	5795713.98
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	128.09
4)	**योग (2+3)**	5795842.07
5)	**अन्तर (1-4)**	**751074.00**

Secretary
Gram Panchayat Tabba
Dev. Block Una, Distt. Una (H.P.)

'परिशिष्ट क-1'

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि ₹
1	KCCB Una	20013012571	1069258.38
	AU Small Finance Una	2181238737250786	562922.60
	AU Small Finance Una 14th FC	2181238735817387	0.00
	Axis Bank Una	920010053994224	4163533.00
		योग	**5795713.98**
2		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत)	128.09
		योग (1+2)	**5795842.07**

Secretary
Gram Panchayat Tabba
Dev. Block Una, Distt. Una (H.P.)

पैरा संख्या 7.1क में संदर्भित परिशिष्ट "ख"

ग्राम पंचायत टब्बा, विकास खण्ड ऊना जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	237962	63600	301562	00	301562

Secretary
Gram Panchayat Tabba
Dev. Block Una, Distt. Una (H.P.)

पैरा संख्या 7.2 में सन्दर्भित परिशिष्ट 'ग'

Statement of outstanding Balance of Mobile Towers as on 31.03.2023

Sr. No	Tower company / No. of tower	Outstanding as on 01.04.2022	Due for the year 2022-23	Total	Rental realized during 2022-223	Outstanding as on 31.03.2023
1	Airtel 1	10000	00	10000	00	10000
2	BSNL 1	10000	00	10000	00	10000
3	IDEA 1	10000	00	10000	00	10000
	Total	**30000**	**0**	**30000**	**0**	**30000**

Note: - Annual Demand for 2022-23 is nil due to the clause 6 (G) of chapter 2 of right of way policy, 2021 notified by I.T Department Government of Himachal Pradesh vide Notification No. I.T (F)1-1/2020 dated 09-02-2021. There is only provision of clearing all the outstanding Urban Department Tax or any other dues payable upon the land and building applied for installation of telegraph infrastructure it is also certified that no Mobile Tower has been installed on the land of Gram Panchayat.

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Tabba
Dev.Block Una, Distt.Una (H.P.)

पैरा संख्या '४.२' में सन्दर्भित परिशिष्ट 'घ'

ग्राम पंचायत टब्बा, विकास खंड व जिला ऊना हि.प्र.

क्र०स०	योजना	वाउचर संख्या व माह	कार्य का नाम	बिल स०/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक मीटर)	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा (टनो में)	रायल्टी दर (प्रति टन)	देय रायल्टी
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	167 12/22	C/o CSC Near Pancwati Park	2338 शून्य	M/S Guruchandan Govt Cont	रेत	2.83	1.62	4.5846	80	366.768
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	177 02/23	C/o CSC Near Pancwati Park Anand Vihar	2490 शून्य	M/S Guruchandan Govt Cont	रेत	11.32	1.62	18.3384	80	1467.072
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	177/1 02/23	C/o CSC Near Pancwati Park Anand Vihar	2491 शून्य	M/S Guruchandan Govt Cont	बजरी	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						बजरा	15.57	1.52	23.6664	80	1893.312
										योग	**4415.408**
										पेनल्टी 25 प्रतिशत	1103.852
										कुल योग	**5519.26**

Secretary
Gram Panchayat Tabba
Dev. Block Una, Distt. Una (H.P.)